वित्तीय स्वीकृति

संख्या-3/2016/3013/52-3-2015-8(6)/2005

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, □□□□: दिनांक 4 जनवरी, 2016

विषयः-जनपद गाजियाबाद में आला हजरत हज हाउस परिसर में नये बहुमंजिला भवन निर्माण हेतु अवशेष द्वितीय किश्त की धनराशि डी0आर0डी0□0 □□ □□0□□0□0 में रखी गयी धनराशि अवमुक्त करने हेतु स्वीकृति/अन□□□ □□ संबंध में।

□□□□□,

उपर्युक्त विषयक आपके ई-मेल पत्र 0-657/□□□ □□ □□□□/2015-16 दिनांक 19.11.2015 के संदर्भ में तथा शासन के पत्र सं0-750/52-3-15-8(06)/2005 दिनांक 31.3.2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गाजियाबाद में आला हजरत हज हाउस परिसर में नये बहुमंजिला भवन निर्माण हेतु रू0 35,77,09,000/-(रू0 □□□□ करोड़ सतहत्तर लाख नौ हजार मात्र) की कुल लागत अनुमोदित करते हुये प्रथम फेज के कार्यो को कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था सं0एण्ड डी0□□0 □□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□ धनराशि रू0 01,31,26,500/- की धनराशि को समायोजित करते हुये कुल रू0 17,16,69,000/-/- (रू0 सत्रराह करोड़ सोलह लाख उनहत्तर हजार मात्र) की धनराशि शासनादेश □□-254/52-3-14- 8(06)/2005 दिनांक 26.2.2014 द्वारा स्वीकृत कर सचिव/कार्यपालक अधिकारी उ0प्र0 राज्य हज समिति के निर्वतन पर रखी गयी थी।

तदुपरान्त वित्तीय वर्ष 2013-14 में हज हाउस गाजियाबाद के निर्माण हेतु शासनादेश □□-514/52-3-14-8(06)/2005 दिनांक 28.3.2014 द्वारा रू0 11,94,58,500/- की धनराशि स्वीकृत की जिलाधिकारी, गाजियाबाद के पी0□□0□0 में इस शर्त के अधीन रखी गयी थी। जिसमें से शासनादेश सं0-750/52-3-15-8(06)/2005 दिनांक 31.3.2015 द्वारा रू0 09,54,53,000/- की धनराशि पी0ए□0□0 से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराये जाने की सहमति प्रदान की जा चुकी है तथा रू0 02,40,05,500/- (रू0 □□ □□□□ □□□□□ □□□ पाँच हजार पाँच सौ मात्र) की धनराशि पी0ए□0□0 में अवशेष है। उक्त अ□□□□ □□□□□ □ □□ हजरत हज हाउस गाजियाबाद के द्वितीय फेज के कार्यो को कराये जाने हेतु पी0□□0□0 □□

आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराये जाने की सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि धनराशि के व्यय में वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। अवशेष धनराशि की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व अब तक स्वीकृत धनराशि से कराये गये कार्य जनोपयोगी स्तर तक पहूॅच गये है की पुष्टि की जायेगी।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय 0-□-11-1448/□□-2015, दिनांक 01 जनवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
□□□□

संख्या-2865(1)/52-3-15-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□

2-□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□□

3-□□□□/कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य हज समिति, □□□□□

4-जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, गाजियाबाद।

5-कोषाधिकारी, कै□□□□□, □□□□/□□□□ □□□, □□□□□

6-□□□□□, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0, □□□□□

7-वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 □□□□□

8-वित्त (ई-11) □□□□□/□□□□□-3/अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1/
वित्त (□□-व्ययक) □□□□□-1(03 प्रतियों में)/□□□ □□□□ /गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
□□□□□□

http://shasanadesh.up.nic.in